कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1) 2014/कार्मिक–भर्ती/प्रमुवसं/8170-84 दिनांक 5-8-2015
निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/भरतपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर।
मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) जोधपुर/(वन्य जीव) कोटा/(वन्य जीव) भरतपुर/(वन्य जीव) उदयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, आंर.वी.पी. कोटा।
मुख्य वन संरक्षक, बनास नदी परियोजना जयपुर ।
मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य जयपुर

विषयः राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2014 की पालना के संबंध में।

संदर्भ : आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर का पत्रांक एफ 1 (बी) (3) (57) सीटीएडी/2014/11146–215 दिनांक 04.05.2015, इस कार्यालय का पत्रांक 4999–5012 दिनांक 28.05.2015, पत्रांक 5333–47 दिनांक 04.06.2015 एवं 6943–56 दिनांक 14.07.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 2 (1)/डीओपी/ए–II/2014 दिनांक 28.01.2014 द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2014 जारी किये गये है, जो http ://tad. rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन नियमों की पालना सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव राजस्थान द्वारा परिपत्र दिनांक 17.07.2014 एवं दिनांक 10.11.2014 जारी किये गये थे (जिनकी प्रतियां पूर्व में आपको संदर्भित पत्रों के साथ भिजवाई गई थी)।

इन नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु पृथक केडर का गठन किया जाना है। जिसके लिये समस्त कर्मचारियों से विकल्प पत्र प्राप्त किये जाने हैं। उपरोक्त संदर्भित पत्रों से यह सूचना चाही गई थी कि यदि आपके क्षेत्राधीन कोई कर्मचारी अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापन का विकल्प देना चाहता है तो उसे संलग्न निर्धारित प्रपत्र में भिजवायें, परन्तु आज दिनांक तक सूचना अप्राप्त है। अतः पुनः निवेदन है कि अपने अधीन पदस्थापित समस्त कर्मचारी तत्काल इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायें तथा यदि कोई कर्मचारी उक्त नियमों के तहत अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापन चाहता है तो उसका विकल्प पत्र दिनांक 20.8.2015 तक इस कार्यालय में अवश्य भिजवा दें। आपके अधीन कार्यरत कोई भी कर्मचारी अपने क्षेत्र में परिवर्तन नहीं चाहता है, इस आशय की सूचना प्रत्येक कर्मचारी तक पहुंचाने का दायित्व सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी का है तथा इसकी व्यवस्था पुख्ता रूप से समय रहते कर ली जावे। दिनांक 20.8.2015 के उपरान्त कोई दूसरा अवसर इस हेतु नहीं दिया जायेगा। जिन कर्मचारियों के विकल्प प्राप्त नहीं होंगे उन्हें उनके वर्तमान क्षेत्र में मानते हुये अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
संलग्नः उक्तानुसार

भवदीय,
(डा०एस.एस. चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1) 2014/कार्मिक–भर्ती/प्रमुवसं/8185-285 दिनांक 5-8-2015
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त उप वन संरक्षकगण।
2. समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों को सूचित कर लेख है कि आप अपना विकल्प 7 दिवस में अपने नियन्त्रण अधिकारियों के माध्यम से इस कार्यालय में भिजवाने की कार्यवाही करें। आपका विकल्प प्राप्त नहीं होने पर यह मान लिया जावेगा कि आप जिस केडर में पदस्थाति है वह मानते हुए भविष्य में आपके केडर परिवर्तन का आवेदन स्वीकर नहीं किया जावेगा। सूचित रहे।

(शिखा मेहरा)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

विकल्प पत्र

मैं ....(नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....पद .... पर वर्तमान में रेंज .... वन मंडल ....में कार्यरत हूं। उक्त क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। मैं राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2014 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजित किये जाने का विकल्प देता हूँ। विकल्प देने से पूर्व मैंने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या दिनांक द्वारा प्रसारित नियमों का अध्ययन कर लिया है एवं इसमें वर्णित शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

मैं उपरोक्त विकल्प उक्त नियमों को भली–भांति पढकर एवं लिखकर स्वैच्छा से एतद् द्वारा दे रहा हूं।

स्थान

हस्ताक्षर कर्मचारी

दिनांक

नाम

पदनाम